निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 ज्येष्ठ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1035) पटना, शुक्रवार, 6 जून 2025

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

3 जून 2025

एस० ओ० 136, दिनांक 6 जून 2025—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड–(ख) के उपबन्धों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से राज्य के सभी निबंधित कारखानों में नियोजित महिला कर्मकारों को लोक हित में किसी महिला कर्मकार के नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में दिये गये निबन्धनों से निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन छूट प्रदान करते है :–

(1) महिला कामगार को प्रातः 05.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

(2) किसी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे के मध्य कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी या इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) महिला कामगारों के रात्रि 10.00 बजे तक कार्य लेने से पूर्व महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति ली जाएगी।

(4) रात्रि 10.00 बजे तक नियोजित महिला कामगारों को उसके आवास से लाने और ले जाने के लिए कारखाने के व्यय पर पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जाएंगी। वाहन सीसीटीवी कभरेज से युक्त होगा।

(5) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं निराकरण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) जो प्रतिष्ठान पर लागू हो के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा एवं प्रबंधन द्वारा इसके लिए स्पष्ट नीति बनायेगा एवं प्रदर्शित करेगा।

(6) किसी महिला कामगार द्वारा रात्रि 10.00 बजे तक कारखाने में कार्य करने से इंकार करने की स्थिति में, इसे आधार बनाकर महिला कामगार को नियोजन से नहीं हटाया जायेगा। महिला कामगारों के लिए रात्रि 10.00 बजे तक कार्य करने को बाध्यकारी नहीं बनाया जायेगा।

(7) कार्य स्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था के साथ–साथ कारखानें के अन्दर एवं बाहर, जहाँ महिला कामगार आवश्यकता पड़ने पर आ जा सकती हैं, सीसीटीवी कभरेज का प्रावधान किया जायेगा। सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

(8) नियोजक द्वारा गठित किये जाने वाले शिकायत निवारण समितियों की अध्यक्षता मुख्यतः महिलाओं द्वारा ही की जाये एवं समितियों में कम से कम आधी सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायतों के समयवद्ध निष्पादन, विशिष्ट परामर्शी एवं अन्य सहायक सेवा का प्रावधान कराया जाना बाध्यकारी होगा।

(9) महिला कामगारों को विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त उनके अधिकारों के प्रति सजग करने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत एवं प्रदर्शित किया जायेगा।

(10) नियोजक शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में अविलम्ब अनुशासनात्मक एवं दण्डनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर देगा।

(11) शिकायत निवारण की अवधि में अथवा कार्रवाई की अवधि में महिला कामगारों के साथ विभेदपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकेगा। यदि आवश्यक हो तो व्यथित कामगार के शिकायत अथवा अनुरोध के आधार पर दोषी व्यक्ति(यों) का पाली परिवर्तन अथवा स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा।

(सं० 01/F1-117/2016–24 / श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)1035-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in